कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
2 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

सख्या 24■10 /XXV–12(Part-6)/2008 देहरादून : दिनांक 28 सितम्बर, 2017

सेवा में,

श्री अर्जुन सिंह नेगी
64/1 केशव रोड़, लक्ष्मणचौक,
पटेलनगर, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 23–09–2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

1. बिन्दु संख्या–02 में चाही गयी सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. बिन्दु संख्या–03 में चाही गयी सूचना के कम में अवगत कराना है कि वर्णित शासनादेशों के कम में अनुपालन किया जा रहा है।
3. बिन्दु संख्या– 01, 04, 05 एवं 06 में चाही गयी सूचना समस्त लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, उत्तराखण्ड से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
04–सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

B. S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 2410/XXV–12(Part-6)/2008, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि आवेदक को बिन्दु संख्या 01,04,05 एवं 06 पर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

B. S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

प्राप्त - 27/9/2017

आवेदनकर्ता:-- श्री अर्जुन सिंह नेगी
64 / 1 केशव रोड़, लक्ष्मणचौक,
पटेलनगर,देहरादून–248002

दिनांक–23.09.2017

सेवामें,

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय – मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
योजना भवन–प्रथम तल 4– सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर
उत्तराखण्ड –देहरादून।

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अनतर्गत सूचना चाहने के लिए आवेदन–पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषय सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत आपके विभाग से संबंधित सूचना क्रमांक–01 सं 06 तक की सूचना विन्दुवार उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

1–निर्वाचन विभाग / अधीनस्थ कार्यालयों (जिला निर्वाचन कार्यालयों)में प्रधान सहायक / प्रशासनिक अधिकारी / बरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आदि को उत्तराखण्ड शासन द्वारा किस–किस कर्मचारी / अधिकारियों को कम्प्यूटर भत्ता देय है, तथा कौन–कौन से पद पर कम्प्यूटर भत्ता देय / नहीं है।(शासनादेश की प्रति सहित उपलब्ध कराये)

2–प्रदेश के 13 जिलों में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों के नाम / मूल जनपद / कार्यरत जनपद / कार्यभार ग्रहण करने की तिथि की सूचना उपलब्ध करायें।

3– प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या– 155 दिनांक 18.05.2017 के सन्दर्भ में मुख्य सचिव उत्तराखण्ड के पत्र संख्या– 588 दिनांक 29.05.2008 के पैरा–03 (1) के अनुसार आपके विभाग में समूह (ख)के अधिकारियों के लिए 3 वर्ष के पश्चात् स्थानान्तरण किया जाना अनिवार्य है । कृपया उक्त पत्र में निहित प्रकिया / निर्देशों के क्रम मे सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों के स्थानान्तरण विषयक की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध करायें।

4– सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों की पदोन्नति की तिथि / कार्यभार ग्रहण की तिथि से वित्तीय वर्षवार Core treasury system (CTS UK) की सत्यापित प्रमाणित प्रति माह सितम्बर 2017 के वेतन सहित प्रतिहस्ताक्षरित छाया प्रति उपलब्ध कराये।

5– प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / मुख्यप्रशासनिक अधिकारी / सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आदि को कम्प्यूटर भत्ता यदि देय नहीं है यदि उनके द्वारा लिया जा रहा हो तो सम्बन्धित अधिकारियो से (जब से लिया जा रहा है तब से माह सितम्बर 2017)तक व्याज सहित वसूली की जाय तथा वसूली सम्बन्धी चालान की प्रति साक्ष्य हेतु वसूली आदेष सहित उपलब्ध करायी जाय ।

6– प्रशासनिक अधिकारी / वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्य दायित्वों एवं नियमावली की छाया प्रति उपलब्ध करायें ताकि यह ज्ञात हो सके की वर्तमान समय में उपरोक्त इंगित अधिकारियों द्वारा क्या–क्या कार्य / दायित्वों का सम्पादन किया जा रहा है।

संलग्नक–पोस्टल आडरनं0–37 एफ–892783 रू0–10.00

श्री कार्की जी
कृपया उपरोक्तानुसार बिन्दु सं. 2 एवं 3 पर आवेदक को सूचना उपलब्ध करायें एवं बिन्दु सं. 1, 4, 5 एवं 6 से सम्बन्धित सूचना समस्त जिला निर्वाचन कार्यालयों के लो. सू. अ. को हस्तान्तरित हेतु आवेदन को अन्तरित सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित करें।
BS Rawat
27-9-17
P.I.O.

Singh
(अर्जुन सिंह नेगी)
64 / 1 केशव रोड़, लक्ष्मणचौक,
पटेलनगर,देहरादून।

निर्वाचन विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला निर्वाचन कार्यालयों में कार्यरत सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों का विवरण

क्र. सं0	अधिकारी का नाम	श्रेणी	तैनाती जनपद	गृह जनपद	जन्म तिथि	स.जि0नि0अ0 के पद पर पदोन्नति का दिनांक	वर्तमान समय में जनपद में तैनाती की तिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री हरीश सिंह रावत	सामान्य	उधम सिंह नगर	पिथौरागढ़	10.08.1962	01.06.2002	17.08.2010	31.08.2022
2.	श्री दिनेश चन्द्र आर्या	अ0जा0	बागेश्वर	अल्मोड़ा	21.08.1959	03.05.2005	15.09.2015	31.08.2019
3.	श्री प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी	सामान्य	नैनीताल	अल्मोड़ा	02.02.1966	16.09.2005	15.09.2015	28.02.2026
4.	श्री रमेश चन्द्र आर्य	अ0जा0	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	03.04.1965	06.09.2006	22.07.2016	30.04.2025
5.	श्री महेश चन्द्र जोशी	सामान्य	चम्पावत	बागेश्वर	11.12.1957	23.04.2010	20.07.2016	31.12.2017
6.	श्री त्रिपत सिंह बिष्ट	सामान्य	चमोली	पौड़ी गढ़वाल	14.05.1958	17.02.2009	17.02.2009	31.05.2018
7.	श्री प्रेम बल्लभ बुधलाकोटी	सामान्य	हरिद्वार	नैनीताल	29.12.1961	02.06.2010	02.06.2010	31.12.2021
8.	श्री प्रेम सिंह रावत	सामान्य	देहरादून	पौड़ी गढ़वाल	23.03.1965	02.06.2010	03.10.2013	31.03.2025
9.	कु0 सुनीता बिष्ट	सामान्य	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा	04.02.1958	13.08.2010	10.10.2013	28.02.2018
10.	श्री विजय तिवारी	सामान्य	पौड़ी गढ़वाल	देहरादून	31.12.1967	14.02.2011	14.02.2011	31.12.2027
11.	श्री अरूणेश पैन्यूली	सामान्य	टिहरी गढ़वाल	देहरादून	07.02.1969	27.09.2013	27.09.2013	28.02.2029
12.	श्री शंकर राम	अ0जा0	रूद्रप्रयाग	पिथौरागढ़	01.01.1963	09.10.2013	09.10.2013	31.01.2023
13.	श्री शान्ति लाल शाह	अ0जा0	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	10.02.1970	14.09.2016	14.09.2016	28.12.2030

B.S. Rawat 28-9-17
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी
कार्या. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

प्राप्त - 25/9/2017

E-Mail ID dmcumdeoddn@gmail.com
Tele/Fax 0135-2624216
Toll Free No. 0135-1950

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

सेवा में,

सचिव
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़
नई दिल्ली।

संख्या–1059 /25–27/2017 दिनांक 22 सितम्बर, 2017

विषय– **उत्तराखण्ड विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2012, में 24–ऋषिकेश विधान सभा क्षेत्र देहरादून जिला से निर्वाचित अभ्यर्थी श्री प्रेम चंद अग्रवाल (बी.जे.पी.), के निर्वाचन व्यय का लेखा तत्सम्बन्धी।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 76/उत्तराखण्ड–वि.स./24/2012/सीईएमएस–2/890 दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा 24–ऋषिकेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विजयी अभ्यर्थी श्री प्रेम चंद अग्रवाल (बी.जे.पी) से लेखा 11 दिन के देरी से दाखिल करने का स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु पत्र संख्या 76/उत्तराखण्ड–वि.स./24/2012/सीईएमएस–2 दिनांक 24 अगस्त, 2017 सम्बन्धित को तामिली हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र की मूल प्रति श्री प्रेम चंद अग्रवाल को उपलब्ध करवाते हुये पावती की मूल प्रति एवं श्री प्रेम चंद अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर दिनांक 12.9.2017 को प्रति मूल में संलग्न प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्न–यथोपरि।

अपर जिलाधिकारी (प्र.) एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपि – प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्र.)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
देहरादून।

प्राप्त– 25/9/2017

संलग्नक– 5

अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा ।

पत्र संख्याः– 1578/29–सूचना का अधि0/2016 दिनांक 20 सितम्बर, 2017

प्रेषित,

Amit Walia S/O R.S. Walia
R/O Hotel Shiva
Main Road, Vikas Nagar,
Distt. Dehradun- 248198

विषयः– सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचना हेतु अतिरिक्त शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनुभाग अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 2324/xxv–12(1–5)/2008 दिनांक 11 सितम्बर, 2017 के साथ संलग्न अपने सूचना का अधिकार संबंधी पत्र दिनांक 06 सितम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें इस जनपद से सम्बन्धित बिन्दु संख्याः– 01 से 05 तक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु आपके पत्र का हस्तान्तरण इस कार्यालय को किया गया है। उक्त पत्र पर चाही गई सूचना निम्नानुसार हैः–

बिन्दु संख्याः– 01 विधान सभा सामान्य निर्वाचन– 2017 हेतु FLC हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के माध्यम से ECIL द्वारा नियुक्त इंजीनियरों द्वारा FLC का कार्य इस जनपद में दिनांक 29 सितम्बर, 2016 से दिनांक 08 अक्टूबर, 2016 तक किया गया जिनके नाम एवं मोबाइल नं0 एवं कम्पनी का नाम एवं जनपद में रहने की अवधि **जिसमें 02 पृष्ठ है** ।

बिन्दु संख्याः– 02 FLC के दौरान 51 BU एवं 103 CU त्रुटिपूर्ण पाई गई । त्रुटिपूर्ण EVM की मरम्मत का कार्य इस जनपद में नही किया जाता है । त्रुटिपूर्ण EVM को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के आदेशानुसार मरम्मत हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय उधमसिंह नगर भेजी गई । त्रुटिपूर्ण BU एवं CU के नम्बरो की सूची **जिसमें 4 पृष्ठ है** ।

बिन्दु संख्याः– 03 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा ECIL के इंजीनियरों को FLC कार्य हेतु भेजा जाता है FLC कार्य में सहयोग हेतु जनपद स्तर पर आई0टी0आई0 अल्मोड़ा के तकनिशियनों को लगाया जाता है जिसकी सूची **जिसमें 2 पृष्ठ है** ।

बिन्दु संख्याः–04 FLC /मतदान के दौरान खराब BU एवं CU ECIL कम्पनी की है एवं जिसका Manufacturing Year 2006 एवं 2008 है । जिसकी सूचना बिन्दु संख्याः–02 पर उपलब्ध है ।

बिन्दु संख्याः– 05 FLC के दौरान खराब एवं मतदान के दौरान खराब BU एव CU की मरम्मत का कार्य इस जनपद में नही किया जाता है, खराब EVM को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून के आदेशानुसार जनपद उधमसिंह नगर में जमा किया गया। VVPAT का प्रयोग इस जनपद में नही किया गया है

अतः आपके उक्त पत्र पर चाही गई सूचना का कार्यालय में आकर निरीक्षण किया जा सकता है, या सम्बन्धित सूचना जिसमें 8 पृष्ठ है, जिसकी सूचना के लिए रू0 2/–प्रति पृष्ठ की दर से 8 पृष्ठो का रू0 16–00 (सोलाह रूपये) मात्र अतिरिक्त देय होता है, जिसे यथा शीघ्र बैंक ड्राफट या बैंकर्स चैक/चालान जो विभाग के लेखा/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अल्मोड़ा के नाम बना हो प्रेषित करें/करवा दें ।

मॉगी गयी सूचना को उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यवाही उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद प्रारम्भ होगी । इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के निर्धारित 30 दिनों में नही गिना जायेगा । सूचना से असहमत होने की स्थिति में प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी, का पता निम्नवत हैः–

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी,
अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
कलैक्ट्रेट परिसर, अल्मोड़ा ।

भवदीय,

20/9/17

(आर0सी0आर्या)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,अल्मोड़ा ।

प्रतिलिपिः– अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून की कार्यालय पत्रांकः–2324/**XXV**–12/(1–5) दिनांक 11 सितम्बर, 2017 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

20/9/17

(आर0सी0आर्या)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,अल्मोड़ा ।

प्राप्त – 25/9/2017

केवल e-mail/fax/दस्ती द्वारा
"निर्वाचन आवश्यक / महत्वपूर्ण / समयबद्ध"

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी, नैनीताल।

e-mail:dmcumdeontl@gmail.com
दूरभाष: 059442 235284 फैक्स : 05942–235284

पत्रांक–644 / 29–(सू.अधि.) / 2017 **दिनांक 20 सितम्बर, 2017**

सेवा में,

श्री अमित वालिया,
निवासी–होटल सिवा मेन रोड,
विकास नगर, देहरादून।

विषय– लोक सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अपने सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 06 सितम्बर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या–2324 / XXV–12(1–5) / 2008 के द्वारा आपका अनुरोध पत्र जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में हस्तान्तरित किया गया है। हस्तान्तरित किये गये अनुरोध पत्र में आप द्वारा बिन्दु–संख्या 1 से 5 में चाही गयी वांछित सूचना आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

उक्त उपलब्ध करायी जा रही जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हों तो सूचना प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर विभागीय अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी)
लोक सूचना अधिकारी /
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
नैनीताल।

प्रतिलिपि– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या–2324 / XXV–12(1–5) / 2008 दिनांक 11 सितम्बर, 2017 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी)
लोक सूचना अधिकारी /
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
नैनीताल।

प्राप्त – 19/9/2017

पंजीकृत

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी पिथौरागढ़।

पत्रांक 1327/उन्तीस–1(41)/2017 दिनांक 06 सितम्बर,, 2017

प्रेषित,

सौम्या वर्मा,
डी–206, यूनेस्कों अपार्टमेन्ट, 55 आई0पी0 एक्सटेंशन,
नई दिल्ली–110092

विषय– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना के संबंध में।**

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 2245/XXV-12(1–5)/2008 दिनांक 21 जुलाई,, 2017 जो आपको पृष्ठाकित है एवं समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को सम्बोधित है, के द्वारा में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 01 से 03 में सूचना चाही गयी है। उक्त के कम में अवगत कराना है कि बिन्दु संख्या–01 से 03 तक की सूचना इस कार्यालय में धारित नही है।

उक्त सूचना से यदि असन्तुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते है।

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का पता,
उप जिला निर्वाचन अधिकारी पिथौरागढ़।

(सुनीता बिष्ट)
लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
पिथौरागढ़।
मोबाईल नम्बर– 9411349054

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक 2245/XXV-12(1–5)/2008 दिनांक 21 अगस्त, 2017 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

लोक सूचना अधिकारी/
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
पिथौरागढ़।

पंजीकृत / दस्ती

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाड़पुर, रिंग रोड, देहरादून

शिकायत संख्याः 11619 / 2016 (CIC)

शिकायत अंतर्गतः धारा 18(1) सू.का.अधि. अधिनियम, 2005

शिकायतकर्ता : श्री रविन्द्र सिंह रावत, जी / 29, गणेश विहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून ।

बनाम

प्रतिपक्षीः लोक सूचना अधिकारी / 1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, योजना भवन, प्रथम तल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून 2. गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून 3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

नोटिस

शिकायतकर्ता श्री रविन्द्र सिंह रावत, जी / 29, गणेश विहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 12.11.2016 द्वारा अवगत कराया है कि उन्हें सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत संतोषजनक सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

2. आयोग के द्वारा उपरोक्त पत्र को शिकायत के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के प्राविधानों के अंतर्गत निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. शिकायतकर्ता के उपरोक्त शिकायती पत्र दिनांक 12.11.2016 के संलग्नकों सहित संलग्न कर प्रेषित करते हुए प्रतिपक्षी संख्या 1. लोक सूचना अधिकारी / **1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, योजना भवन, प्रथम तल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून 2. गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून 3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून,** से अपेक्षित है कि वह **दिनांक 18.01.2017 को वाद सूची के कम के अनुसार 10:30 बजे** सूचना आयोग के सम्मुख लिखित उत्तर, मय समस्त प्रमाण के **स्वयं अथवा प्रतिनिधि** के माध्यम से उपस्थित हों।

संलग्नकः यथोपरि.

(झरना कमठान)
सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून

पत्रांकः 1109 / शि0सं0 11619 / 2016

दिनांकः 19.12.16

प्रतिलिपिः

1. प्रतिपक्षी संख्या–1. लोक सूचना अधिकारी / 1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड, योजना भवन प्रथम तल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून 2. गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून 3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. शिकायतकर्ता श्री रविन्द्र सिंह रावत, जी / 29, गणेश विहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून , को सूचनार्थ प्रेषित।

(झरना कमठान)
सचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून

उत्तराखण्ड सूचना आयोग, रिंग रोड

लाडपुर रोड, देहरादून उत्तराखण्ड

दिनांक – 12.11.2016

17 NOV 2016
11701

6(3)	FAO	KOF
RIO	LO	Secy.
18	P.S.	Dy. Secy.

शिकायत पत्र

विषय – सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत शिकायत पत्र प्रेषित करने के सम्बन्ध में

सेवा में

उत्तराखण्ड सूचना आयुक्त

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

देहरादून ,उत्तराखण्ड

1– यह है कि प्रार्थी द्वारा पांच (05) बिन्दुओं पर लोक सूचना अधिकारी , मुख्य निर्वाचन निदेशक द्वारा चाही गयी सूचना थी (संलग्नक 01)

2–यह है कि प्रार्थी को पत्र संख्या /503 मु 0 स 0/सू . अ. / 2016 दि0 16.09.2016 को लोक सूचना अधिकारी निर्वाचन निदेशक सचिवालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी गोपन को अग्रसारित की गयी। (संलग्नक 02)

3– यह है कि प्रार्थी को लोक सूचना अधिकारी (निजी सचिव) मुख्य सचिव उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 550 /550–मु.स.

/सू. अ. /2016 दि0 20.09.2016 द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित सूचना विभागीय नहीं है (संलग्नक–03)

4– यह है कि प्रार्थी की पांच (05) बिन्दुओं की सूचना उक्त विभाग से ही सम्बन्धित थी , जिस सम्बन्ध में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6(3) में अग्रसारित भी किया गया, परन्तु सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा मूल प्रति पोस्टल आर्डर के साथ वापस भेज दी गयी।

सलग्न-1) दि० 04.11.2016 शुक्रवार की दैनिक जागरण की खबर (राजनीतिक सम्बंध वाले बी०एल०ओ० हटेंगे)

धन्यवाद

प्रार्थी

रवि०५

(रविन्द्र सिंह रावत)

G/29 गणेश विहार

अजबपुर खुर्द, देहरादून

धारा 6(3)
लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय
4 बी, सुभाष रोड़, देहरादून
उत्तराखण्ड शासन।
दूरभाष: 0135–2712100 / 2712200

दिनांक: 16 सितम्बर, 2016

पत्र संख्या: / 503–मु.स. / सू.अ. / 2016

लोक सूचना अधिकारी,
गोपन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

आवेदक का दिनांक **08.08.2016** का संलग्न सूचना का अनुरोध पत्र, जो लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून में **29.08.2016** को प्राप्त हुआ है, आपको मूल रूप में इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि इसमें मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्न: यथोक्त।

(मोहम्मद कबीर अंसारी)
लोक सूचना अधिकारी

पृष्ठांकन: 503 / नि.स.–मु.स. / सू.अ. / 2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–श्री रविन्द्र सिंह रावत, जी / 29 गणेश विहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून–248001 को सूचनार्थ। दिनांक 29.08.2016 से दिनांक 15.09.2016 तक अद्योहस्ताक्षरी उपार्जित अवकाश पर होने के कारण आपका आवेदन पत्र अन्तरित करने में विलम्ब हुआ। आप द्वारा मांगी गई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः आपके आवेदन को संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को अग्रसारित किया जा रहा है। कृपया प्रथम अपील संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रेषित करें।

2. मुख्य लेखाधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संलग्न पोस्टल आर्डर सं0 33एफ 862548 (रू0 10 / –) को राजकोष में जमा कराने का कष्ट करें।

(मोहम्मद कबीर अंसारी)
लोक सूचना अधिकारी / निजी सचिव,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय
4 बी, सुभाष रोड़, देहरादून
उत्तराखण्ड शासन।
दूरभाषः 0135–2712100/2712200

दिनांकः 20 सितम्बर, 2016

पत्र संख्याः 550/550–मु.स./सू.अ./2016

श्री रविन्द्र सिंह रावत,
जी/29 गणेश विहार, अजबपुर खुर्द,
देहरादून–248001।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत त्रुटिवंश इस कार्यालय को प्रेषित अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.09.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करें. जो कि लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन निर्देशक, योजना भवन, प्रथम तल, सचिवालय, देहरादून को सम्बोधित है।

आपका आवेदन पत्र मूल रूप में पोस्टल आर्डर सहित इस आशय से वापस भेजा जा रहा है कि कृपया इसे संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः यथोक्त।

Kabir
(मोहम्मद कबीर अंसारी)
लोक सूचना अधिकारी/ निजी सचिव,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

सेवा में
लोक सूचना अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी / निर्वाचन निर्देशक
योजना भवन, प्रथम तल, सचिवालय देहरादून

विषय - सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतू

महोदय
कृपया निम्नलिखित बिन्दुओ पर सरल एवं स्पष्ट शब्दो में वांछित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करे।

1. अशासकीय विधालयो में कार्यरत अध्यापक एवम् कर्मचारी राजनीतिक दल की सदस्यता ले सकते है।
2. यह कि अशासकीय विधालयो मे कार्यरत अध्यापक एवम् कर्मचारी किस नियम के अन्तर्गत राजनीतिक दल की सदस्यता ले सकते है। (नियमावली की प्रति) देने की कृपा करे।
3. राजनीतिक दल की सदस्यता लेने वाले अशासकीय विधालयो के अध्यापक एवम् कर्मचारी की चुनाव कार्य (मतदान, मतगणना और मतदाता सूची निर्माण) में चुनाव कार्मिक / अधिकारी के रूप में ड्यूटी लग सकती है।
4. यह कि ऐसा कर्मचारी / अध्यापक जो राजनीतिक दल का सदस्य है, वह निष्पक्ष चुनाव कराने मे योग्य हो सकता है।
5. अपीलीय अधिकारी का नाम / पद / पता बताने की कृपा करे।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त माँगी गयी सूचना निम्नलिखित पते में भेजने की कृपा करे। प्रार्थी द्वारा 10.00 रूपये का पोस्टल आर्डर सलग्न किया जा रहा है।

सलग्न 1) पोस्टल आर्डर
सं० - 33F 862546

दिनांक 09.09.2016

सूचनार्थी
रविन्द्र
(रविन्द्र सिंह रावत)
G/29 गणेश विहार
अजबपुर खुर्द देहरादून

निर्वाचन आयोग की तैयारी : [illegible]

विधानसभा चुनावों में आइटी का होगा भरपूर इस्तेमाल

राज्य ब्यूरो, देहरादूनः प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में सूचना प्रौद्योगिकी का अहम रोल रहेगा। चुनावों की व्यवस्था से जुड़े तमाम कार्यों के लिए तीन कंप्यूटर व एक मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया गया। इसके तहत न केवल ऑनलाइन दर्ज की गई शिकायतों का निस्तारण 24 घंटे के भीतर होगा, बल्कि राजनीतिक दल कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन अनुमति ले सकेंगे। चुनाव के लिए वाहनों के प्रबंधन का कार्य भी ऑनलाइन करने के साथ मतदाता अपने निर्वाचन केंद्र में मिल रही सुविधाओं के संबंध में भी जानकारी हासिल कर सकेंगे।

गुरूवार को मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनाव के दौरान इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर व मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि निवारण कंप्यूटर एप्लीकेशन के तहत कोई भी चुनाव के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह शिकायत फोन, एसएमएस और ई-मेल के जरिए की जा सकती है। शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे में निस्तारण होगा। सुविधा कंप्यूटर एप्लीकेशन के तहत राजनीति दल व प्रत्याशी चुनाव के प्रचार प्रसार संबंधी अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। इसमें 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी। इससे राजनीतिक दलों द्वारा प्रशासन पर एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के आरोपों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। निर्वाचन के दौरान वाहन अधिग्रहण के लिए सुगम कंप्यूटर एप्लीकेशन जारी की गई है। इसमें वाहनों के आवंटन से लेकर बिलों के भुगतान की सारी प्रक्रिया दर्ज है।

मोबाइल एप्लीकेशन सहूलियत के जरिए कोई भी मतदाता अपने मतदान केंद्र में मिलने वाले सुविधाओं की जानकारी हासिल कर सकता है। इसमें प्रदेश के सभी दस हजार पोलिंग केंद्रों में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई है।

कार्यक्रम में निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत व एके ज्योति के अलावा राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी भी मौजूद थीं।

18-19 साल के कम मतदाताओं पर चिंताः मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने प्रदेश में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग की कम मतदाता संख्या पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार बनने वाले तकरीबन 70-72 हजार मतदाता कम हैं। इनको बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य दो लाख मतदाता करने का है। जिनके नाम किन्हीं कारणों से मतदाता सूची से हट गए हैं उन्हें व्यक्तिगत नोटिस भेजे गए हैं, ताकि वे फिर से नाम जुड़वा सकें।

उत्तर प्रदेश के विधायक के उत्तराखड में वोट डालने का भी लिया संज्ञानः मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सितारगंज उपचुनाव के दौरान यूपी के विधायक का उत्तराखंड में वोट डालने का भी संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि इस मसले को देखा जाएगा।

राजनीतिक [illegible] वाले [illegible] हटेंगे

[illegible]

[illegible] के निर्देश

[illegible]

सीमा की हलचल पर भी नजर

[illegible]

पुलिस थानों पर भी [illegible] नजर

[illegible]

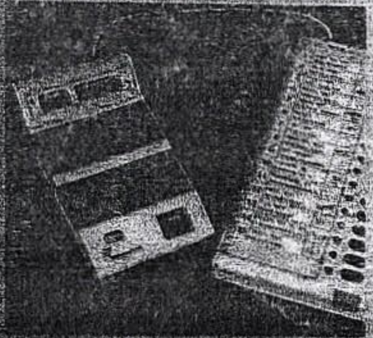

अब ईवीएम के साथ लगेंगे वीवी पैट

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार वोटर वेरिफाइबल पेपर आडिट ट्रेल (वीवी पैट) के इस्तेमाल का निर्णय लिया है। इसके तहत मतदाता वोट डालने के बाद यह देख सकेगा कि उसने जहां वोट दिया है वह वहीं पड़ा है कि नहीं। इसका लोकसभा चुनाव में प्रयोग काफी सफल रहा है। इसके अलावा पोलिंग बूथ में सीसी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे किसी प्रकार की चूक की संभावना भी नहीं रहेगी।

संविधान संशोधन हो तो हो एक साथ हो सकते हैं लोस व विस चुनावः मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी का कहना है कि देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बात उठ रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए संविधान में संशोधन जरूरी है। सभी दलों को एक राय होकर संविधान में संशोधन करना होगा। यदि ऐसा होता है तो आयोग इस पर कार्यवाही कर सकता है।

दिनांक 04-11-2016 बृहस्पतिवार को
दैनिक जागरण की खबर